न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–102 / 17 धारा–144 दं0प्र0सं0

टिको ठाकुर –बनाम– बासुदेव ठाकुर वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति

प्रथम पक्ष के आवेदन पर दिनांक 25.07.2017 को द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा की मांग की गयी तथा थाना प्रभारी, बरही से भी जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

मौजा–डपोक, थाना– बरही, जिला–हजारीबाग।

खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहदी
315	4612	0.13 ए0	उ0–नाला द0–मसोमात खुबिया पू0–नीज प0–नाला
	4613	0.06 ए0	उ0–झरी हजाम द0–नीज पू0–नाला प0–नाला
	4615	1.20 ए0	उ0+द0–नीज पू0+प0–नाला
	4617	0.46 ए0	उ0–नाला द0–नीज पू0–बद्री ठाकुर प0–पुरानी परती
	4618	0.37 ए0	उ0–बासुदेव ठाकुर द0–नाला पू0–कन्हाई ठाकुर प0–पुरानी परती
319	4619	0.73 ए0	उ0–नीज द0–गिरधारी गोप पू0–रूपलाल हजाम प0–बासुदेव हजाम का मकान
	4620	0.23 ए0	उ0–बद्री ठाकुर द0–नीज प्रथम पक्ष पू0–बद्री ठाकुर प0–नीज प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत सोबरन हजाम एवं कन्हाई हजाम वा टिको हजाम पिता–चोलो हजाम एक अंश तथा मो0 खुबिया, पति–समर हजाम का एक अंश हिस्सा है। प्रथम पक्ष मो0 खुबिया पति–समर हजाम के वंशज है तथा खतियानी रैयत टिको हजाम की पत्नी मो0 चमनी से भी निबंधित केवाला सं0–2676, दिनांक 26.09.1951 से उनके हिस्से की भूमि क्रय कर शांतिपूर्वक दखल कब्जा मे चले आ रहे है। दिनांक 03.07.2017

को द्वितीय पक्ष लाठी–डण्डा से लैश होकर प्रथम पक्ष की जमीन जोतने ल जिससे रोकने पर लडाई–झगडा पर उतारू हो गये।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है:–

1. प्रश्नगत भूमि से संबंधित क्रमिक खतियान की छायाप्रति।
2. प्रश्नगत भूमि से संबंधित केवाला सं0–1972, दिनांक 09.02.1983 की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष यह भी दावा करते है कि खाता सं0–315 एवं 319 का कुल रकबा–3.18 ए0 है, जबकि वाद 3.26 ए0 पर लाया गया है। प्रथम पक्ष यह स्वीकार करते है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत सोबरन हजाम एवं कन्हाई हजाम वा टिको हजाम पिता–चोलो हजाम एक अंश तथा मो0 खुबिया, पति–समर हजाम का एक अंश हिस्सा है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि वे खतियानी रैयत सोबरन हजाम के वंशज है। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रथम पक्ष के आवेदन एवं द्वितीय पक्ष के कारणपृच्छा, उभय पक्षों के दाखिल कागजात एवं अधिवक्ताओं के दलील से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने–अपने स्वत्व के आधार पर दखल कब्जा का दावा कर रहे है। दं0प्र0सं0–144 के अन्तर्गत वाद का निपटारा किया जाना संभव नहीं है।

उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष, अपने–अपने स्वत्व के आधार पर अपनी भूमि के दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में अपना वाद दाखिल करने को स्वतंत्र है।

इस आदेश के आलोक में कोई भी पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व (title) का दावा नहीं कर सकता है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।